

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली (राज0)

क्रमांक:—04—/स्था0

दिनांक: 05 जनवरी, 2026

:: आ दे श ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 08/ई.वी. /2025 दिनांक 21.11.2025 के पृष्ठांकन सामान्य/XII/07/2025/SC-I/1965 दिनांक 21.11.2025 में अंकित नोट-2 एवं पत्रांक सामान्य/12/2/2000/ 655-656 दिनांक 05.04.2000 के प्रावधानों के तहत जिला एवं सेशन न्यायाधीश को दो ऐसे स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया है, जो उनके क्षेत्र में स्थानीय धार्मिक भावनाओं के मददेनजर उचित हों।

जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड़ के आदेश क्रमांक सामान्य/2025/4142 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा वर्ष 2026 में कोटपूतली-बहरोड़ न्यायक्षेत्र में निम्नलिखित दो स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं:-

क्रम सं.	अवकाश का नाम	दिनांक	वार
1	मकर सक्रान्ति	14.01.2026	बुधवार
2	शीतला अष्टमी	11.03.2026	बुधवार

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त निर्देशों की अनुपालना में कोटपूतली-बहरोड़ न्यायक्षेत्र के अंतर्गत कोटपूतली/बहरोड़/बानसूर/पावटा/विराटनगर/नीमराणा मुख्यालय पर अवस्थित न्यायालयों के लिए वर्ष 2026 में उपरोक्त दोनों दिवसों के स्थानीय अवकाश एतद्वारा घोषित किये जाते हैं।

—sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटपूतली (राज0)

क्रमांक: 51 to 58 /स्था0

दिनांक: 05 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर।
2. समस्त न्यायालय कोटपूतली-बहरोड़ न्यायक्षेत्र।
3. जिला पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली-बहरोड़।
4. कारागृह कोटपूतली/बहरोड़।
5. अध्यक्ष समस्त अभिभाषक संघ कोटपूतली/बहरोड़/बानसूर, विराटनगर, पावटा, नीमराणा मुख्यालय।
6. न्यायिक शाखा/प्रतिलिपि शाखा/लेखा शाखा/नजारत शाखा/अभिलेखागार/सांख्यिकी शाखा
7. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड/ई-मेल किये जाने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

270000
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटपूतली (राज0)